तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिकी/टीए/2006/7651/धौलपुर सियाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्ड–पीठ

श्री आर0 डी0 मीणा, सदस्य

कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः–

श्री बुधराज प्रजापति ब्रीफ हॉल्डर, अभिभाषक अपीलांट्स

श्री शांति प्रकाश औझा, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

दिनांक– 23–09–2025

अपीलांट् ने यह द्वितीय अपील भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 13–07–2006 जिसके द्वारा अपीलांट् की अपील को खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस अपील की ग्राह्यता पर सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेड़ी के समक्ष ग्राम जारगा तहसील बसेड़ी के खेत खसरा नम्बर 1964 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 1983 की 4 बिस्वा भूमि जोकि आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 30–06–89 को अपीलांट्/वादी को आवंटन किया गया, के बाबत् एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 90(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश करते हुए वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की मांग इस आशय के साथ की गई थी कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा जिला कलेक्टर, धौलपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र भू–आवंटन अधिनियम, 1970 की धारा 14(4) पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलांट्/वादी के आवंटन को खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्/वादी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वरा दिनांक 13–07–94 को अपीलांट् की अपील को खारिज किया गया, जिसके विरूद्ध मण्डल हाजा के समक्ष निगरानी याचिका पेश की गई। मण्डल हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 10–01–96 को निगरानी याचिका को खारिज किये जाने से व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/2006/7651/धौलपुर सियाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्वीकार करते हुए निर्देश दिये गये कि अपीलांट्/वादी वर्तमान में मौके पर काबिज है व राजस्व अभिलेख में अपीलांट्/वादी बतौर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा मण्डल के समक्ष 15 दिन के भीतर नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये गये। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में मण्डल हाजा के समक्ष नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा भूमिहीन कृषक होने के कारण आराजी जैर का आवंटन किया गया, उक्त आवंटन के पश्चात् अपीलांट् को राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदारी दर्ज किया गया। उक्त कार्यवाही के उपरान्त अपीलांट्/वादी द्वारा आवंटन के समय से आज तक बदस्तुर गैर खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की मांग की गई थी। प्रकरण में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलांट्/वादी के विधिवत् आवंटन एवं वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जे काश्त के तथ्य को दृष्टिगत रखे बिना वादपत्र को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। इसी अनुरूप अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट् की अपील को खारिज किया गया है। चूंकि अपीलांट् वादग्रस्त भूमि का विधिवत् आवंटी होते हुए मौके पर काबिजकाश्त है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की वैधानिकता का निर्धारण अपील के गुणावगुण पर किया जाना है। अतः अपील अपीलांट् ग्राह्य की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें। विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलांट्/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र भू–आवंटन अधिनियम, 1970 की धारा 14(4) पेश किये जाने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी रास्ते की भूमि दर्ज होने के कारण सिवायचक दर्ज करते हुए अपीलांट् के पक्ष में निष्पादित आवंटन को निरस्त किया गया। वादग्रस्त आराजीयात् राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड रही है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि बाबत् आवंटन/नियमन/हस्तातंरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है, क्योंकि विवादित भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड भूमि है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट्/वादी को नहीं किया जा सकता है। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार गैर मुमकिन नदी, नालों, तलाब, अंगौर, चारागाह, रास्ता आदि किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/2006/7651/धौलपुर सियाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री विधि प्रावधानों के अनुसरण में पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं होने से अपीलांट् प्रस्तुत द्वितीय अपील के माध्यम से भी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील ग्राह्यता के स्तर पर खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत् बहाल रखे जावें। विद्वान अभिभाषकगणों की बहस अपील की ग्राहयता पर सुनी गई एवं पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालयों के आलौच्य आदेशों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन व परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेड़ी के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम जारगा तहसील बसेड़ी के खेत खसरा नम्बर 1964 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 1983 की 4 बिस्वा भूमि के बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 92(ए) के तहत वादपत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था आराजी जैर अपीलांट्/वादी को विधिवत् आवंटित भूमि है जिस पर वह बतौर गैर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की मांग का मुख्य आधार आराजी जैर का आवंटन रहा है। प्रस्तुत प्रकरण की पृष्ठभूमि के तहत हुई कार्यवाहियों का समेकित रूप से विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन के पश्चात् अपीलांट्/वादी के विरूद्ध राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र पेश होने पर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलांट्/वादी के आवंटन को इस आधार पर खारिज किया गया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट्/वादी द्वारा मण्डल स्तर तक कार्यवाही किये जाने के अपीलांट्/वादी की अपील/निगरानी खारिज की गई। तदुपरान्त अपीलांट/वादी द्वारा उक्त वादपत्र खातेदारी उद्घोषणा बाबत् प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र पर नियमानुसार अनुतोष सहित छः तनकीयात् कायम की गई। उपरोक्त तनकीयात् के आधार पर वादीगण को आराजी जैर पर अपने कब्जेकाश्त को साबित करना था। इसी अनुरूप अन्य विचारणीय तथ्य यह भी था कि वादग्रस्त भूमि के मौके पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने की स्थिति में क्या ऐसी भूमि के खातेदारी अधिकार अपीलांट्/वादी को किये जा सकते है अथवा नहीं? इस संबंध में अपीलांट्/वादी द्वारा तनकी संख्या 1 के माध्यम से वादग्रस्त भूमि पर वादग्रस्त भूमि पर आवंटन दिनांक से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/2006/7651/धौलपुर सियाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपना निरन्तर कब्जाकाश्त साबित करने में असफल रहे हैं। इसी प्रकार जहां तक वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में विधिक स्थिति है कि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदत्त किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित करते हुए अभिनिर्धारित किया गया है कि ''16– भूमियां जिनमें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे– इस अधिनियम में अथवा राज्य के किसी भाग में उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि या अभिनियमित में किसी बात के होते हुए, खातेदारी अधिकार निम्नलिखित में, प्राप्त नहीं होंगे–
6– किसी सार्वजनिक अभिप्राय अथवा सार्वजनिक हित के कार्य के लिये प्राप्त की गई अथवा धारण की गई भूमि,

ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम तो अपीलांट्/वादी वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा साबित करने में असफल रहे है। वहीं दूसरी तरफ वादग्रस्त भूमि का स्वरूप गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर रास्ता चालू होने को गवाहान् द्वारा प्रमाणित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों के मुश्तहक नहीं पाये जाने की स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को विधि सम्मत् तरीके से खारिज किया गया है तथा जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई है। प्रकरण में चूकि यह स्वीकृत स्थिति है कि वादग्रस्त भूमि का स्वरूप गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर आवागमन हेतु काम आ रही है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार अपीलांट्/वादी को प्रदत्त नहीं किये जा सकते हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समवर्ती निर्णयों के माध्यम से क्रमशः वादपत्र/अपील को खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि प्रकट नहीं होने से अपीलांट् की हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।

परिणामतः अपीलांट् की द्वितीय अपील ग्राह्यता के स्तर पर खारिज की जाकर भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13–07–2006 व अधीनस्थ विचारण उपखण्ड अधिकारी, बसेड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–01–2004 यथावत् बहाल रखे जाते हैं। निर्णय की सूचना जरिये कम्प्यूटर विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों को दी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया) **(आर0 डी0 मीणा**

सदस्य **सदस्य**